न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 11/2022

अपीलार्थीगण

(1) शारदा बेन पुत्री रेवाशंकर पत्नी छोगाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– बांट, हाल निवासी ग्राम– जात, जिला– बनासकांठा (गुजरात)
(2) भीखीदेवी पुत्री रेवाशंकर पत्नी मंजीराम, जाति– पुरोहित, निवासी– बांट, हाल निवासी ग्राम– जेतपुरा, तहसील– रानीवाडा, जिला– जालोर
(3) जसीबेन पुत्री रेवाशंकर पत्नी लल्लूराम, जाति– पुरोहित, निवासी– बांट, हाल निवासी– भाटराम, जिला– बनासकांठा (गुजरात)
(4) मंसी बेन पुत्री रेवाशंकर पत्नी वजा भाई, जाति– पुरोहित, निवासी– बांट, हाल निवासी– सिमधर रेजीडेन्सी, कतारगांव, सूरत (गुजरात)
(5) पोशु बेन पुत्री रेवाशंकर पत्नी पोंसाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– बांट, हाल निवासी– सोडाल, जिला– बनासकांठा (गुजरात)
(6) पंखु बेन पुत्री रेवाशंकर पत्नी जोधाराम, जाति– पुरोहित, निवासी– बांट, हाल निवासी– गुन्दरी, जिला– बनासकांठा (गुजरात)

बनाम

प्रत्यर्थीगण

(1) झमुदेवी पत्नी रेवाशंकर, जाति– पुरोहित, निवासी– बांट, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
(2) शान्तिराम पुत्र रेवाशंकर, जाति–पुरोहित, निवासी– बांट, तह.–रेवदर, जिला–सिरोही
(3) कान्तिराम पुत्र रेवाशंकर, जाति–पुरोहित, निवासी– बांट, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
(4) राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, मण्ड़ार, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री मेहुल अग्रवाल, अपीलार्थीगण की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से
(3) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या– 4 (चार) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 18 नवम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम बांट, तहसील– रेवदर के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 889 दिनांक 09.7.1998 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय समयावधि अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन/नोटिस जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या– 4 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपीलार्थीगण की अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम बांट, पटवार हल्का बांट के खसरा संख्या 949 रकबा 5.0000 बीघा,

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

950 रकबा 4.1300 बीघा, 951 रकबा 27.0900 बीघा, 952 रकबा 35.1100 बीघा, 953 रकबा 26.0000 बीघा, 954 रकबा 7.0000 बीघा, 955 रकबा 2.0500 बीघा, 956 रकबा 7.1900 बीघा, 957 रकबा 0.0700 बीघा, 958 रकबा 18.0000 बीघा, 959 रकबा 9.1500 बीघा, 960 रकबा 19.0300 बीघा व 961 रकबा 17.1500 बीघा कुल खसरे 13 कुल रकबा 180 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पिता रेवाशंकर पुत्र हरीराम का अन्य सहखातेदार गणेश, माला पिसरान धनराज, रेवा पत्नी धनराज, रंगा पुत्र खुमा, वचना, किर्ती, देवा, उत्तम पिसरान– गेनाराम, त्रिजा पत्नी गेनाराम के साथ संयुक्त रुप से 1/2 हिस्सा था तथा रेवाशंकर से पूर्व इस कृषि भूमि पर उनके पिता हरीराम का हक हिस्सा व स्वामित्व था, इस प्रकार उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी भूमि है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पिता रेवाशंकर पुत्र हरीराम की मृत्यु जून, 1998 में हो चुकी है, जिससे इनकी मृत्यु के बाद उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के साथ साथ अपीलार्थीगण रेवाशंकर पुत्र हरीराम की जायन्दा पुत्रियां होने के कारण इनका भी समान हक हिस्सा था, परन्तु तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने जानबूझकर अपीलाथीगण के पिता की मृत्यु पर उत्तराधिकार का नामान्तरकरण दायर करते समय अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नही किया तथा उनकी मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 889 दिनांक 09.7.1998 को स्वीकृत किया है, जिसमें रेवाशंकर पुत्र हीराराम के वारिसान में केवल उनके दो पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 तथा उनकी पत्नी प्रत्यर्थी संख्या 1 को ही जीवित मानकर उनके पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज कर दिया है। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रियों को भी पुत्र के समान ही हक हिस्सा दिये जाने का प्रावधान है। तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा रेवाशंकर के वारिसान के संबंध में न तो कोई जांच की है और न ही किसी व्यक्ति के बयान दज्र किये, जबकि रेवाशंकर के विधिक वारिसान में उनकी पुत्रियां अपीलार्थी संख्या 1 से 6 व उनके पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 तथा उनकी पत्नी प्रत्यर्थी संख्या– 1 है, इस कारण रेवाशंकर की पुश्तैनी सम्पति में उनकी पुत्रियां, पुत्र व पत्नी का समान हक हिस्सा है और रेवाशंकर की मृत्यु के बाद अपीलार्थी संख्या 1 से 6 अपने हक हिस्से की भूमि पर बरसाती सीजन में फसल बो कर अपना भोग प्राप्त कर रही है परन्तु राजस्व रेकर्ड में अपीलाथ्री संख्या 1 से 6 का नाम दर्ज नही होने से इनके हक अधिकारों के प्रति शंका उत्पन्न हो रही है। अपीलार्थी संख्या 1 से 6 अपने हक हिस्से में काबिज होकर अपनी मनमाफिक उपयोग व उपभोग कर रही है एवं उनके हक अधिकारों को कभी किसी व्यक्ति ने चुनोती नही दी है एवं अपीलार्थी को राजस्व रेकर्ड की आवश्यकता नही होने से तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा किये गये अवैध कृत्य की जानकारी पूर्व में नही हो सकी। अपीलार्थीगण को फरवरी, 2022 में इस कृषि भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की आवश्यकता होने पर संबंधित पटवारी हल्का से सम्पर्क कर इन दस्तावेज को प्रदान करने का अनुरोध किया, तब अपीलार्थीगण की जानकारी में आया कि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में उनका नाम दर्ज नही है, जबकि मौके पर अपीलार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करती आ रही हैं। राजस्व रेकर्ड में खातेदार का नामान्तरकरण मात्र फिसकल एन्ट्री है एवं नामान्तरकरण दर्ज होने या नही होने से खातेदारों के खातेदारी हक अधिकारों पर प्रभाव नही पड़ता है। तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज नही किये जाने से अपीलार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है। अपीलार्थीगण को तत्कालीन राजस्व अधिकारियों की गलती की जानकारी प्राप्त हुई, तब अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 से सम्पर्क कर उनके हक हिस्से की भूमि के राजस्व रेकर्ड में उनका नाम दर्ज करवाने का अनुरोध किया, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलार्थीगण का नाम

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही करवाने से यह अपील प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। यह कि अपीलार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर अपीलार्थीगण द्वारा केवल बरसाती मौसम में ही फसल बोई जाती है एवं उसका भोग अपीलार्थीगण प्राप्त करते रहे है एवं वर्तमान में अपीलार्थीगण अपने ससुराल में निवास करने के कारण व राजस्व रेकर्ड की कभी आवश्यकता नही पड़ने से इस नामान्तरकरण के विरुद्ध अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत नही कर सकी। अपीलार्थीगण ने जानकारी तिथि से अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जावे एवं अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम बांट, वर्तमान पटवार हल्का बांट, तहसील— रेवदर के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 889 दिनांक 09.7.1998 को निरस्त करके अपीलर्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के हक में नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, रेवदर को निर्देशित किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण का उक्त पैतृक कृषि भूमि में नाम दर्ज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के सह खातेदार रेवाशंकर पुत्र हरिराम की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की भूमि के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में उत्तराधिकार नामान्तरकरण संख्या 889 दायर किया, जिसे नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 09.7.1998 को स्वीकृत किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम बांट, तहसील— रेवदर के खसरा संख्या 949 रकबा **5.0000** बीघा, 950 रकबा **4.1300** बीघा, 951 रकबा **27.0900** बीघा, 952 रकबा **35.1100** बीघा, 953 रकबा **26.0000** बीघा, 954 रकबा **7.0000** बीघा, 955 रकबा **2.0500** बीघा, 956 रकबा **7.1900** बीघा, 957 रकबा **0.0700** बीघा, 958 रकबा **18.0000** बीघा, 959 रकबा **9.1500** बीघा, 960 रकबा **19.0300** बीघा व 961 रकबा **17.1500** बीघा कुल खसरे 13 कुल रकबा 180 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार रेवाशंकर पुत्र हरीराम जाति— ब्राह्मण, निवासी— बांट की मृत्यु के बाद उक्त रेवाशंकर पुत्र हरीराम के हक हिस्से की कृषि भूमि का पटवार हल्का, जैतावाडा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 889 दायर किया गया, जिसे नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 09.7.1998 को स्वीकृत किया गया है। नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 889 दिनांक 09.7.1998 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28.3.2022 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 889 दिनांक 09.7.1998 के विरुद्ध यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थीगण ने नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 889 दिनांक 09.7.1998 के विरुद्ध जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थीगण को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में प्रारम्भ से ही जानकारी रही हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मियाद की अवधि जानकारी तिथि से प्रारम्भ होती है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना पाया जाने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के सहखातेदार रेवाशंकर पुत्र हरीराम, जाति– ब्राह्मण, निवासी– बांट की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 889 पटवारी हल्का, जैतावाडा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में दायर किया गया, जिसे नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 09.7.1998 को स्वीकृत किया गया है। जबकि अपीलार्थीगण भी मृतक खातेदार रेवाशंकर पुत्र हरीराम, जाति– ब्राह्मण निवासी– बांट की पुत्रियां है। ऐसी स्थिति में, मृतक खातेदार रेवाशंकर पुत्र हरीराम, जाति– ब्राह्मण, निवासी– बांअ की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण, अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के हक में दायर कर स्वीकृत करना चाहिये था, लेकिन मृतक खातेदार रेवाशंकर पुत्र हरीराम, जाति– ब्राह्मण, निवासी– बांट की मृत्यु के बाद उनके हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में दायर कर स्वीकृत किया गया है, जो विधि अनुरुप नही है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थीगण, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारवान होने व साबित होने से स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम बांट, तहसील– रेवदर के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 889 दिनांक 09.7.1998 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, रेवदर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार रेवाशंकर पुत्र हरीराम, जाति– ब्राह्मण, निवासी– बांट के विधिक वारिसानों की जांच करके विधि अनुरुप पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18 नवम्बर, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही